राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–709/2017/अलवर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, वृत–अलवर ...अपीलार्थी

बनाम

मै. सत्यनारायण पुत्र श्री हरीश चंद अग्रवाल,
4 क 177, शिवाजी पार्क, अलवर ...प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अनिल पोखरणा
उप राजकीय अभिभाषक ...अपीलार्थी की ओर से
अनुपस्थित ...प्रत्यर्थी

निर्णय दिनांक : 22.10.2018

निर्णय

1. अपीलार्थी विभाग द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, अलवर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 94/RVAT/2015–16/ अपी.प्राधि./अलवर में पारित आदेश दिनांक 07.09.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, वृत–अलवर (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.07.2015 अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम 2003"** कहा जायेगा) की धारा 78(5) के तहत कायम की गई मांग राशि रू 2,29,489/– को विवादित करने पर अपील स्वीकार करते हुये आरोपित कर एवं शास्ति को अपास्त किया जिसके विरूद्व अपीलार्थी विभाग द्वारा यह अपील कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि उपायुक्त (प्रशासन), वाणिज्यिक कर, अलवर के निर्देशानुसार सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–प्रथम, प्रतिकरापवंचन वृत, अलवर द्वारा मय टीम दिनांक 23.07.2015 को अपीलार्थी व्यवसायी के लक्ष्मणगढ स्थित गौदाम का सर्वेक्षण श्री सत्यानारायण अग्रवाल एवं दो स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में किया गया। जांच पर 21 बोरी पताका बीडी 502 बिना खरीद बिल, चालान एवं दस्तावेजों के मौके पर पायी गई। जांच के समय मौके पर उपस्थित श्री सत्यनारायण अग्रवाल ने स्वयं को मैसर्स ईश्वरी प्रसाद एण्ड ब्रदर्स, बजाजा बाजार, अलवर का सेल्समैन होना स्पष्ट किया गया तथा लक्ष्मणगढ स्थित गौदाम से 35 बोरी पताका बीडी वाहन सं. RJ-29/GA-2796 में भरकर विक्रय हेतु परिवहनित किया जाना बतलाया गया, शेष 21 बोरी बीडी लक्ष्मणगढ स्थित गौदाम में मौके पर मौजूद होना पायी गई जिसकी खरीद से संबधित कोई बिल एवं चालान फर्म के सेल्समैन श्री सत्यनारायण अग्रवाल ने मौके पर पेश नहीं किये। अतः बिना दस्तावेजों के मौके पर मौजूद पाये गये उक्त अघोषित एवं अलेखांकित माल को जांचकर्ता द्वारा अधिनियम की धारा 75(4) के तहत

लगातार.....2

अभिग्रहित किया जाकर सीजर मीमो (वैट–46) की एक प्रति सेल्समैन को दी गयी तत्पश्चात् जांचकर्ता अधिकारी के अभिग्रहित माल सहित कर भवन स्थित अलवर कार्यालय में पहुँचने के उपरान्त उसी दिन श्री सत्यनारायण अग्रवाल ने चालान संख्या–129 दिनांक 23.07.2015 एवं एक बिल बुक क्रमांक 1451 से 1500 तक की प्रस्तुत की।

दिनांक 25.07.2015 का फर्म भागीदार श्री ईश्वरी प्रसाद (मै. ईश्वरी प्रसाद एण्ड ब्रदर्स, अलवर) द्वारा जॉचकर्ता अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर लक्ष्मणगढ स्थित गोदाम के सीज मीमो (वैट–46) से संबधित अभिग्रहित माल 21 बोरी बीडी का अपनी फर्म का नियमित स्टॉक बतलाते हुए 21.5 बोरी बीडी को सेल्समैन द्वारा लक्ष्मणगढ स्थित गोदाम मे अनलोड किया जाना बतलाया तथा उक्त माल का इन्द्राज उनकी फर्म के स्टॉक रजिस्टर एवं नियमित बहीखाते में होना बतलाते हुए समर्थन में चालान संख्या–129, स्टॉक रजिस्टर के पेज सख्या–5 एवं रोकड बही दिनांक 13.07.2015 की फोटोप्रति पेश की गई। जांचकर्ता अधिकारी द्वारा फर्म के वैट–01 (वैट रजिस्ट्रेशन) की प्रति विभागीय वेबसाईट से प्राप्त कर फर्म के लक्ष्मणगढ स्थित गोदाम की जॉच की, जिसमें व्यवसायी का लक्ष्मणगढ में कोई गोदाम नहीं होना पाये जाने से फर्म भागीदार द्वारा प्रस्तुत जवाब को पूर्णतया अप्रमाणिक एवं अवैधानिक होने के कारण अमान्य किया जाकर उक्त गोदाम से जो भी माल लोड अथवा अनलोड किया गया उसे अविधिक, अघोषित एवं अलेखांकित माना गया। उस प्रकार वक्त जॉच लक्ष्मणगढ स्थित गोदाम में बिना बिल एवं चालान के उचन्त पायी गयी 21 बोरी पताका बीडी 502 कीमतन रू. 2,41,567/– को जॉचकर्ता अधिकारी द्वारा अघोषित एवं अलेखांकित मानकर इस पर अधिनियम की धारा 75(8) के अन्तर्गत @65% से कर एवं @30% से शास्ति हेतु अभियोग प्रस्तावित करते हुए उपायुक्त (प्रशासन), अलवर के आदेशानुसार अभियोग पत्रावली कर निर्धारण अधिकारी को स्थानान्तरित की गई।

कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अभियोग पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं जॉच रिपोर्ट का अवलोकन किये जाने के उपरान्त जॉच के समय लक्ष्मणगढ स्थित गोदाम में बिना बिल एवं चालान के उचन्त पायी गयी 21 बोरी पताका बीडी 502 कीमतन रू 2,41,567/– पर कर एवं अधिनियम की धारा 75(8) के अन्तर्गत शास्ति आरोपण हेतु फर्म मै. ईश्वरी प्रसाद एण्ड ब्रदर्स के सेल्समैन श्री सत्यनारायण अग्रवाल पुत्र श्री हरीशचन्द्र अग्रवाल को कारण बताओं नोटिस दिनांक 04.08.2015 के लिए जारी किया गया जिसकी पालना में नियत तिथि को श्री सत्यनारायण अग्रवाल, सेल्समैन एवं श्री ईश्वरी प्रसाद, भागीदार फर्म मै. ईश्वरी प्रसाद एण्ड ब्रदर्स द्वारा उपस्थित होकर लिखित जवाब पेश कर जाहिर किया गया कि उनके द्वारा पूर्व में दिनांक 25.07.2015 को प्रस्तुत जवाब को ही नोटिस का जवाब माना जावे। प्रस्तुत जवाब के साथ श्री सत्यनारायण ने एक हलफनामा भी पेश किया तथा श्री सत्यनारायण ने सभी कार्यवाही फर्म मै. ईश्वरी प्रसाद एण्ड ब्रदर्स के नाम से निस्तारित करना स्पष्ट किया एवं लक्ष्मणगढ गोदाम

लगातार.....3

दिनांक 07.07.2015 को किराये पर लेना व गोदाम में रखी 21.5 बोरी बीडी का इन्द्राज फर्म की नियमित बहीयात मे होना स्पष्ट किया। श्री सत्यानायण ने स्वयं का फर्म का 15 वर्ष से सेल्समैन होना बताया तथा 23.07.2015 को चालान संख्या 129 दिनांक 23.07.2015 से 40 बोरी बीडी अलवर गोदाम में लोड करना स्पष्ट किया एवं 5 बोरी विक्रय के बाद 35 बोरी पिकअप में होना बताया तथा 21.5 बोरी बीडी गोदाम में होना बतलाया। हलफनामों में सेल्समैन ने चालान नं–129 एवं बिल बुलक संख्या–1451 से 1500 मोके पर पेश करनी बतायी लेकिन कागजात अलवर में प्रस्तुत करना स्पष्ट किया।

प्रस्तुत जवाब को सक्षम अधिकारी द्वारा अवलोकन के पश्चात् पूर्णतया निराधार/मिथ्या एंव शास्ति से बचने के लिए पश्चात्वर्ती सोच से युक्त मानकर विस्तृत विवेचन सहित अस्वीकार कर दिया गया तथा वक्त जॉच लक्ष्मणगढ स्थित गोदाम में कीमतन रू 2,41,567/– की 21 बोरी पताका बीडी बिना बिल व चालान के उचन्त में रखी पायी जाने के कारण सक्षम अधिकारी द्वारा प्रस्तावित नोटिस के अनुसार इस पर @65% की दर से कर रू 1,57,018/– व अधिनियम की धारा 75(8) के अन्तर्गत @30% से शास्ति रू 72,471/– आरोपित करते हुए कुल रू 2,29,489/– की मांग कायम की गई जिसके विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर व्यवहारी की अपील स्वीकार करते हुए कर व शास्ति अपास्त की है जिसके विरूद्व अपीलार्थी राजस्व द्वारा यह द्वितीय अपील कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. बहस विद्धान उपराजकीय अभिभाषक एकपक्षीय सुनी गई।

4. विद्धान उपराजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि सर्वेक्षण के समय गौदाम में 21 बोरी बीडी पाई गई थी परन्तु व्यवहारी द्वारा यह गौदाम घोषित नहीं किया हुआ था। अपीलीय अधिकारी द्वारा व्यवहारी द्वारा मनगढंत कहानी के आधार पर इसे विधिसम्मत गौदाम माना है। सर्वेक्षण के समय मौके पर खरीद से संबंधित कोई बिल अथवा चालान नहीं पाये गये थे। अपीलीय न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत नहीं है। इन्होंने अपील स्वीकार कर कर निर्धारण अधिकारी का आदेश रेस्टोर करने हेतु निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :–

6. विचाराधीन प्रकरण में विवाद का मुख्य बिन्दु यह है कि जॉचकर्ता अधिकारी द्वारा दिनांक 23.07.2015 को व्यवहारी के लक्ष्मणगढ स्थित गोदाम की जॉच पर गोदाम में मौजूद पायी गई कीमतन रू 2,41,567/– की 21 बोरी पताका बीडी–502 को जॉचकर्ता/सक्षम अधिकारी द्वारा अघोषित एवं अलेखांकित मानते हुए उक्त माल पर @65% से कर व अधिनियम की धारा 75(8) के अन्तर्गत @30% से शास्ति आरोपित करते हुए कुल रू 2,29,489/– की मांग कायम की गई जिसे अपीलार्थी द्वारा विवादित किया गया हैं। उक्त संदर्भ में व्यवहारी का तर्क है कि वक्त सर्वेक्षण गोदाम में रखा हुआ माल मै. ईश्वरी प्रसाद एण्ड ब्रदर्स, अलवर का था जो उक्त फर्म के नियमित लेखा–पुस्तकों मे दर्ज था तथा इसे उनके द्वारा कर चुका कर खरीदा गया था एवं

लगातार.....4

दिनांक 19.07.2015 को ही इसे उक्त गोदाम में रखा गया था जिसके सत्यापन हेतु अपीलार्थी द्वारा जवाब के साथ मै. ईश्वरी प्रसाद एण्ड ब्रदर्स, अलवर की नियमित लेखा–पुस्तकें एवं अन्य रिकार्ड भी सक्षम अधिकारी के समक्ष दिनांक 25.07.2015 का पेश कर दिये गये थे। इसके अतिरिक्त विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस बात पर भी बल दिया गया कि मै. ईश्वरी प्रसाद एण्ड ब्रदर्स, अलवर द्वारा लक्ष्मणगढ स्थित उक्त गोदाम को दिनांक 07.07.2015 से किराये पर लिया गया था जिसका इन्द्राज विधिक प्रावधानों के अनुसार पंजीयन प्रमाण–पत्र में 30 दिवस की समयावधि में करवाया जा सकता है। उक्त संदर्भ में अपीलार्थी द्वारा रू 100/– के नॉन ज्यूडीशियल स्टॉम्प पेपर पर दिनांक 07.07.2015 को निष्पादित किरायेनामे की प्रति, जो कि नोटेरी पब्लिक द्वारा सत्यापित है, जॉचकर्ता/सक्षम अधिकारी के समक्ष पेश की दी गई थी, किन्तु जाचकर्ता/सक्षम अधिकारी द्वारा जवाब में वर्णित उक्त तथ्यों पर गौर किये बिना ही वक्त जॉच गोदाम में पाये गये उक्त माल को मनमाने ढंग से अघोषित व अलेखांकित मानते हुए अपीलार्थी श्री सत्यनारायण जो कि फर्म मै. ईश्वरी प्रसाद एण्ड ब्रदर्स, अलवर का सेल्समैन है, पर विवादित आदेश के तहत @65% से कर एवं अधिनियम की धारा 75(8) के अन्तर्गत @30%से शास्ति आरोपित करते हुए मांग कायम की गई थी।

प्रकरण में जब अपीलार्थी द्वारा जॉचकर्ता/सक्षम अधिकारी के समक्ष जवाब के साथ उक्त माल मालिक मै. ईश्वरी प्रसाद एण्ड ब्रदर्स, अलवर की नियमित लेखा–पुस्तकें एवं वांछित रिकार्ड वास्ते सत्यापन हेतु प्रस्तुत कर दिये गये थे जिसमें उक्त माल का इन्द्राज मौजूद था, तब जाचकर्ता/सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त माल को अघोषित एवं अलेखांकित माना जाना कतई उचित प्रतीत नहीं होता है। जहॉ तक लक्ष्मणगढ स्थित गौदाम का वक्त जॉच/सर्वेक्षण व्यवसायी के पंजीयन प्रमाण–पत्र में इन्द्राज नहीं होने का प्रश्न है तो उक्त संदर्भ में भी अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्क भारयुक्त पाया जाता है क्योंकि विधिक प्रावधानों के अनुसार व्यवसायी द्वारा किये जाने वाले किसी भी संशोधन का इन्द्राज उसकी प्रभावी तिथि से 30 दिवस की समयावधि के भीतर अपने पंजीयन प्रमाण–पत्र में करवाया जाना आवश्यक है। चूंकि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किरायेनामे की फोटोप्रति के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मै. ईश्वरी प्रसाद एण्ड ब्रदर्स, अलवर द्वारा उक्त किरायानामा दिनांक 07.07.2015 को रू 100/– के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर निष्पादित किया गया है, जो कि नोटेरी पब्लिक द्वारा सत्यापित है इसका इन्द्राज उसके द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार 06.08.2015 तक करवाया जा सकता है, अतः इस आधार पर अपीलार्थी के उक्त गोदाम को अवैध नही माना जा सकता है।

7. अपीलीय अधिकारी ने उपरोक्त निष्कर्ष के आधार पर व्यवहारी की अपील स्वीकार कर कर व शास्ति अपास्त की है जिसमे कोई विधिक त्रुटि नहीं है जिससे इसमे हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपीलें स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण अस्वीकार की जाती है।

9. निर्णय सुनाया गया।

(नत्थूराम)
सदस्य